मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

अपील क्रमांक ए–170/रा.सू.आ./20–2/बैतूल/06

श्री मनोज जोगी, अपीलकर्ता
पूर्व पार्षद, मालवीय वार्ड,
बैतूल

विरूद्ध

प्राचार्य, लोक सूचना अधिकारी
शासकीय ज.हा.शासकीय महाविद्यालय,
बैतूल

आदेश

(दिनांक 28 जून, 2006)

यह अपील श्री मनोज जोगी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने प्राचार्य, शासकीय ज.हा,शासकीय महाविद्यालय, बैतूल जो महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी भी हैं, से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 9 नवम्बर, 2005 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था –

1. वर्षवार शासन से प्राप्त आवंटन से संबंधित पत्र की नकल ।
2. प्राप्त आवंटन से किये गये कार्यो से खर्च संबंधी ।
3. जनभागीदारी समिति से संबंधित जानकारी, वर्ष 2000 से 2005 तक।
4. समिति को प्राप्त प्रति वर्ष आय से संबंधित दस्तावेज ।
5. समिति के व्दारा विभिन्न कार्यो के लिये किये गये खर्च बिल व्हाउचर एवं भुगतान संबंधित आवंटन की नकल ।

2. लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया था कि जिस रिकार्ड को मांगा है उसमें हजारों पृष्ठ हैं इसलिये उनको उपलब्ध कराना कठिन है अतः वह दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 को उपस्थित होकर संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण कर लें । लोक सूचना अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के समक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होने लोक सूचना अधिकारी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने विर्निदिष्ट समय–सीमा में सूचना उपलब्ध नही करायी गई है और उन्हें सूचित किया गया कि मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराना संभव नही है । अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 25 जनवरी, 2006 को

प्राचार्य को निर्देश दिये थे कि अपीलकर्ता ने जो सूचना मांगी है, वह शुल्क प्राप्त करके उपलब्ध करायी जाये और इस पत्र की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को भी दी गई थी ।

3. अपीलकर्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता का कहना है कि वह गरीबी की रेखा के नीचे का व्यक्ति है इसलिये उसे बिना शुल्क लिये गये प्रति प्राप्त होनी चाहिये थी । उसका यह भी कहना है कि विनिर्दिष्ट समय–सीमा में जानकारी प्राप्त नही हुई है इसलिये संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने एवं प्रशासकीय कार्यवाही की जाये ।

4. इस प्रकरण को सुनवाई के लिये दिनांक 28 जून, 2006 को रखा गया था अपीलकर्ता उपस्थित नही हुये यद्यपि कि उन्हें उपस्थिति के लिये दिनांक 22 मई, 2006 को सूचना पत्र भेजा गया था । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुये , उन्हें सुना गया ।

5. इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने 5 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है । पहला बिन्दु वर्षवार शासन से प्राप्त आवंटन की नकल देने के संबंध में है । इस नकल को देने में लोक सूचना अधिकारी को कोई कठिनाई नही होनी चाहिये । अपीलकर्ता को आवंटन पत्रों की प्रतिलिपि प्रदान की जाये । दूसरी जानकारी प्राप्त आवंटन में किये गये कार्यो से खर्च संबंधी बिल व्हाउचर एवं आदेश पत्रिका की नकल मांगी गई है । महाविद्यालय में प्राप्त आवंटन से अनेक कार्य किये जाते हैं और इससे संबंधित अभिलेख में रखे जाते हैं । अपीलकर्ता व्दारा जो जानकारी मांगी गई, वह इस प्रकार की है कि जिसमें यह समझना मुश्किल है कि उन्हें कौन सी जानकारी चाहिये । जानकारी प्राप्त करने के नाम से वह महाविद्यालय के पिछले पांच वर्षो के सम्पूर्ण रिकार्ड की प्रतिलिपि चाहते हैं । अपीलकर्ता को चाहिए कि वह महाविद्यालय में उपलब्ध आवंटन एवं व्यय से संबंधित अभिलेखों को देख लें और जिस अभिलेख की उन्हें आवश्यकता हो, उसकी प्रति उन्हें बिना शुल्क लिए प्रदान की जावे । इसी प्रकार की कार्यवाही अन्य तीन बिंदु जिसके संबंध में जानकारी मांगी गई है, उनके संबंध में की जाए । लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को पहले ही संबंधित अभिलेख देखने के लिये लिखा है । अपीलकर्ता को चाहिये कि वह संबंधित अभिलेख देखकर जिस अभिलेख की प्रति उन्हें चाहिये, वह प्राप्त कर लें इसके लिये उनसे कोई शुल्क नही लिया जाये ।

5. अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये लिखा है । यह विषय आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसी भी प्रकरण में प्रकरण की कार्यविधि को देखते हुये यह निर्णय ले कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों से हटकर दुर्भावनापूर्वक कार्य किया है । इस प्रकरण में ऐसी कोई बात

सामने नही आयी है जिससे कि स्पष्ट हो कि लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न की हो ।

6. उपरोक्त निर्देशो के साथ ही इस अपील का निराकरण किया जाता है ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त.